

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अयोध्या।

दिनांक—09.05.2026

आदेश

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। उक्त प्रकरण पुलिस चालानी पर प्रस्तुत मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग का है।

उक्त चालान इस न्यायालय में छः माह से अधिक समय से विचाराधीन है। इस अवधि में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु आदेशिका जारी की गयी परन्तु अभियुक्त न्यायालय हाजिर नहीं आया।

द0प्र0स0 की धारा 258 एवं मा0 उच्च न्यायालय के प्रपत्र संख्या 52/2006 दिनांकित 15.11.2006 को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत वाद की कार्यवाही बिना निर्णय सुनाये रोक दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट—प्रथम
अयोध्या।